न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
105 / 2019	16.05.2019	19.11.2022

//उनवान//

1 सांवलराम पुत्र भगवान जाति अहीर निवासी गढ़ी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
2 बनवारीलाल पुत्र भगवान जाति अहीर निवासी गढ़ी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
3 शीशराम भगवान जाति अहीर निवासी गढ़ी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
4 मोहनलाल पुत्र भगवान जाति अहीर निवासी गढ़ी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।

:– वादीगण

बनाम

1 **रामचन्द्र पुत्र रामसुख** जाति अहीर निवासी गढ़ी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
2 किरोड़ी पुत्र रामसुख जाति अहीर निवासी गढ़ी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
3 महेश कुमार पुत्र सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी गढ़ी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर नाबालिंग सरप्रस्त माता संतोष देवी।
4 मोनिका पुत्री सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी गढ़ी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर
5 ज्योति पुत्री सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी गढ़ी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर
6 अनुराधा पुत्री सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी गढ़ी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर
7 अनिता पुत्री सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी गढ़ी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर नाबालिंग जरिये सरप्रस्त माता संतोष देवी।
8 अंजली पुत्री सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी गढ़ी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर नाबालिंग जरिये सरप्रस्त माता संतोष देवी।
9 आशंक्ता पुत्री सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी गढ़ी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर नाबालिंग जरिये सरप्रस्त माता संतोष देवी।
10 महिमा पुत्री सुन्दरलाल जाति अहीर निवासी गढ़ी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर नाबालिंग जरिये सरप्रस्त माता संतोष देवी।
11 छोटा पुत्री प्रेम पत्नि श्रीराम जाति अहीर निवासी गढ़ी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर हाल निवासी पाटन तहसील कोटकासिम अलवर।
12 शीशराम पुत्र मूर्ति जाति अहीर निवासी गोढडा तह0 किशनगढ़बास जिला अलवर
13 रामवतार पुत्र मूर्ति जाति अहीर निवासी गोढडा तह0 किशनगढ़बास जिला अलवर
14 किशन पुत्र मूर्ति जाति अहीर निवासी गोढडा तह0 किशनगढ़बास जिला अलवर
15 अमरसिंह पुत्र गिन्दोडी नि0 सक्तपुरा तह0 मुण्डावर जिला अलवर
16 राजेन्द्र पुत्र गिन्दोडी नि0 सक्तपुरा तह0 मुण्डावर जिला अलवर
17 लालीया पुत्र चाही निवासी वैतावास तह0 कोटकासिम अलवर
18 कवरसिंह पुत्र चाही निवासी वैतावास तह0 कोटकासिम अलवर
19 शेरसिंह पुत्र राजो निवासी सक्तपुरा तह0 मुण्डावर जिला अलवर
20 कमला पत्नि भूपसिंह पुत्री राजो नि0 सासेडी तह0 नीमराना जिला अलवर
21 सावत्री पत्नि लालसिंह पुत्री राजो नि0 सासेडी तह0 नीमराना जिला अलवर
22 केला पत्नि हेवसिंह पुत्री नि0 सासेडी तह0 नीमराना जिला अलवर
23 हजारी लाल पुत्र नत्थू जाति अहीर निवासी गढ़ी तह0 मुण्डावर जिला अलवर
24 चन्दो देवी पत्नि लक्ष्मण
25 हरिकिशन

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:09 IST
Reason: SelfAttested

26 रामप्रसाद
27 अभयसिंह पुत्रान लक्ष्मण
28 बिमला
29 अनीता पुत्रीयान लक्ष्मण जातियान अहीर निवासीयान गढ़ी तह0 मुण्डावर जिला अलवर
30 रतिराम
31 राजाराम
32 सुभाष पुत्रान गणपत जातियान अहीर निवासीयान गढ़ी तह0 मुण्डावर जिला अलवर
33 राजस्थान सरकार जरिये लैंड होल्डर तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर
34 श्रीमान उप पंजीयक महोदय मुण्डावर अलवर।

:– प्रतिवादीगण

दावा – इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हु0ई0 दवामी।

उपस्थितिः– श्री सतवीरसिंह चौहान – वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक– 19.11.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि विवादित आराजी हाल ख0नं0 527/0.24 है0 वाके ग्राम गढ़ी तह0 मुण्डावर में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी जो साबिक ख0नं0 321 मिन रकबा 02 बिस्वा व साबिक ख0नं0 322 रकबा 17 बिस्वा से पैमूद किया गया है एवं भगवान का सिजरा का अंकित करते हुये अवगत कराया गया कि साबिक ख0नं0 647/322 रकबा 08 बिस्वा मिनवादीगण के पिता भगवान पुत्र सुख्खा के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है तथा मिनवादीगण के पिता का नाम सम्वत् 2017 के खतौनी सं0 58 में दर्ज रहा है व इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2021 के खतौनी स0 66 में दर्ज है लेकिन सैंटलमेंट सम्वत् 2029 में भू राजस्व कर्मचारियों द्वारा साबिक ख0नं0 से हाल ख0नं0 पैमूद करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून हम वादीगण के पिता के नाम दर्ज है आराजी साबिक ख0नं0 647/322 रकबा 08 बिस्वा हाल ख0नं0 527 में मिलाकर पैमूद कर वादीगण के पिता के नाम 1/4 भाग गलत दर्ज कर दिया जबकि वादीगण के पिता के नाम 08 बिस्वा में दर्ज करना चाहिए था। उक्त गलत अंकन सम्वत् 2029 से ताहाल चला आ रहा है जिसको मिनवादीगण दुरुस्त कराने के अधिकारी है। मिनवादीगण अपने पिता से प्राप्त विरासत में मिली उक्त आराजी के रकबा 08 बिस्वा पर शांतिपूर्वक काबिज है इसलिए इस गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं हो सकी लेकिन दिनांक 30.08.2018 को मिनवादीगण क्रेडिट कार्ड बनवाने हल्का पटवारी के पास गये तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। जिसकी नकुलाये प्राप्त कर प्रतिवादीगण से राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराने हेतु कहा तो आज कल–आज कल करते रहे और दिनांक 15.04.2019 को रिकॉर्ड दुरुस्त कराने से मना कर दिया। यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखासमत पैदा होकर दायर ... है। प्रतिवादीगण ने गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी को खुर्द-बुर्द करने की ... है। सुविधा का संतुलन व बैलेंस ऑफ कंवीनेंस मिनवादीगण के पक्ष में है। ... में प्रतिवादीगण ने गलत इन्द्राज का बेजा फायदा उठाकर आराजी को खुर्द–बुर्द कर दिया तो नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। आदि–आदि अंकित करते हुये वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे की आराजी ख0नं0 527/0.24 है0 वाके ग्राम गढ़ी तहसील मुण्डावर जिला अलवर में से मिनवादीगण को रकबा 08 बिस्वा का संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर वादीगण के हक व हिस्से तक प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर रिकॉर्ड दुरुस्त फरताये जावे का निवेदन रहा।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की वाद विधिवत तलबी अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2014–17 किता तीन प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2021 किता तीन प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2029 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी राम्वत् 2046 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी सम्वत् 2033 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी सम्वत् 2042–45 प्रदर्श–8 पेश की है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र सांवलराम पीडब्ल्यू–1, बनवारीलाल पीडब्ल्यू–2 एवं कृषण कुमार पीडब्ल्यू–3 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि साबिक ख0नं0 647/322 रकबा 08 बिस्वा भगवान पुत्र सुख्खा के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है जो नकल जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2017 खतौनी सं0 58 में दर्ज होकर प्रदर्श–2 अनुसार स्पष्ट साबित है तथा इसी अनुसार नकल जमाबंदी सम्वत् 2021 प्रदर्श–3 खतौनी सं0 66 पर भी दर्ज है लेकिन वर वक्त सैटलमेंट सम्वत् 2029 हाल ख0नं0 पैमूद करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून वादीगण के पिता का नाम दर्ज आराजी साबिक ख0नं 647/322 रकबा 08 बिस्वा को मिलाकर को हाल ख0नं0 527 में मिलाकर पैमूद कर वादीगण के पिता के नाम 1/4 भाग गलत दर्ज कर दिया जो ताहाल तक गलत इन्द्राज चला आ रहा है जबकि वादीगण के पिता के नाम रकबा 08 बिस्वा के बाबत का दर्ज करना चाहिए था। वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2014–17 किता तीन प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2021 किता तीन प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2029 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सम्वत् 2046 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी सम्वत् 2033 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी सम्वत् 2042–45 प्रदर्श–8 पेश की है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र सांवलराम पीडब्ल्यू–1, बनवारीलाल पीडब्ल्यू–2 एवं कृषण कुमार पीडब्ल्यू–3 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है एवं उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी ने अपने वाद को पूर्ण रूप से साबित कर दिया है का निवेदन करते हुये वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई व पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पात्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:09 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के आराजी ख0नं0 527 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम गढ़ी तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद वादीगण डिक्री किया जाता है एवं वादीगण की हिस्से आराजी की हद तक हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे प्रतिवादीगण के नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त आराजी के रकबा 24 है0 में से रकबा 08 बिस्वा यानी 0.10 है0 के बाबत वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

यह निर्णय आज दिनांक **19.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

19-11-2022

(पंकज बड़गूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज०

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:09 IST
Reason: SelfAttested